पूज्य स्थल के पास शव दफनाने से ग्रामीण नाराज, की सड़क जाम

शहडोल, देशबन्धु। आदिवासियों के पूज्य स्थल के पास एक व्यक्ति का शव दफना दिए जाने के बाद यहां आदिवासियों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने शहडोल से पंडरिया जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंतरा कंकाली मंदिर तिराहे पर जाम लगा दिया जिससे घंटों यतागत बाधित रहा।

यातायात बाधित होने की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने धरना दे रहे ग्रामीणों को समझा कर सड़क खाली कराई।धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सोहागपुर के पंचायत जुगवारी के खसरा नंबर 245 स्थित भूमि आदिवासी समाज के पूज्य स्थल गौथान की है। लेकिन यहां की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान बना दिया है।

ग्रामीणों के अनुसार अभी हाल ही में गांव के मोहम्मद हुसैन का शव इसी भूमि में दफन किया गया है। इस घटना के बाद आदिवासी ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिसे लेकर वे भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि गौथान के पास स्थित यह भूमि उनके पूजा स्थल से जुड़ी हुई है, और इस पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हंगामा कर आदिवासी ग्रामीणों ने अंतरा कंकाली मार्ग पर जाम लगा दिया। जिससे पडरिया नेशनल हाईवे मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।

कोतवाली प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि गौथान स्थल के पास एक कब्रिस्तान बना कर एक शव को दफन कर दिया है। जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर निराकरण किया जा रहा है।

महुआ के फूलों से भर गए जंगल

अच्छी फसल से ग्रामीणों में उत्साह, तेजी से हो रहा महुआ बीनने का काम

उमरिया, देशबन्धु। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल उमरिया जिले में इस वर्ष महुआ की फसल ने किसानों और ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी ला दी है। गेहूं कटाई से पहले ही महुआ के फूलों से जंगल भर गए हैं, जिससे ग्रामीण सुबह होते ही बिनाई के कार्य में जुट जाते हैं। महुआ न केवल आर्थिक रूप से सहारा देता है बल्कि इसे कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जिससे इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस साल महुआ की अच्छी पैदावार होने से ग्रामीणों को उम्मीद है कि बाजार में उचित दाम मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी।

उमरिया की भौगोलिक संरचना को देखते हुए यहां का 60 प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है। इन जंगलों में महुआ के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। महुआ के फूलों का उपयोग खाद्य पदार्थों के अलावा औषधीय उत्पादों और पारंपरिक शराब बनाने में भी किया जाता है। यह ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण वनोपज है, जिससे उन्हें हर वर्ष अच्छा लाभ मिलता है। यही कारण है कि इस मौसम में ग्रामीण गेहूं कटाई के पूर्व बचे हुए समय का सदुपयोग महुआ बीनने में कर रहे हैं।

ग्रामीण परिवारों में महुआ बीनने की प्रक्रिया एक विशेष परंपरा का रूप ले चुकी है। लोग आधी रात से ही जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं, ताकि सुबह होते ही बिनाई का काम शुरू कर सकें। रात में पहले महुआ की तकवारी की जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहां अधिक मात्रा में महुआ गिरा हुआ है। फिर सुबह होते ही परिवार के सभी सदस्य मिलकर महुआ बीनते हैं और घर लाकर इसे धूप में सुखाते हैं। सुखाने की प्रक्रिया के बाद इसे स्थानीय व्यापारियों या मंडियों में बेचा जाता है। ग्रामीणों को महुआ के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। महुआ बीनने का कार्य उन परिवारों के लिए भी राहत लेकर आता है, जिनके पास खेती के सीमित साधन हैं।

यह आय का एक वैकल्पिक स्रोत बन जाता है। इस वर्ष महुआ की अच्छी फसल होने से लोग बाजार में इसकी बिक्री के लिए उत्साहित हैं। महुआ संग्रहण से जुड़ी गतिविधियों से कई अन्य आर्थिक अवसर भी बनते हैं। स्थानीय स्तर पर व्यापारी इसे बड़े पैमाने पर खरीदते हैं और प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न कंपनियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा, कुछ ग्रामीण इसे खुद भी प्रोसेस कर महुआ लड्डू, पाउडर या अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर बेचते हैं।

देशभर में महुआ की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद्य उद्योग और आयुर्वेदिक कंपनियां महुआ से बने उत्पादों में रुचि ले रही हैं, जिससे इसके दामों में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी योजनाओं के तहत वनोपज संग्रहण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे महुआ संग्राहकों को सीधा लाभ हो सके। इस साल उमरिया जिले में महुआ की अच्छी पैदावार से ग्रामीणों की मेहनत रंग लाने की उम्मीद है।

सार-समाचार

श्याम के बाद पप्पू नामक व्यक्ति बना सट्टा सरगना

चचाई, देशबन्धु। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चचाई मार्केट में ही पुलिस की आँखों मे धूल झोख कर पप्पू नामक सट्टा सरगना बन गया है। थाना प्रभारी को भी उनके बीट प्रभारी कर रहे गुमराह और यहाँ चाय पान सब्जी की आड़ मे एक का नब्बे चल रहा है। कई प्रकरण थाना में सट्टे के कायम हैं पर पुलिस प्रसाशन को दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप को ही सबसे बड़ा सरगना समझने लगा है, क्योंकि पूर्व सरगना अब सुधार कार्य पर चल रहा है और नया सरगना गेम लेकर बुढ़ार में उतारार कर रहे है। कई बार समाचार प्रकाशित होने पर भी चचाई पुलिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊर्जा नगरी के वासियों ने पुलिस प्रसाशन से मांग की है की ऐसे अवैध कारोबारियों को फिर से जिलाबदर की कार्रवाई करें जिस पर फिर से युवा पीढ़ी बर्बाद न हो।

बांधवगढ़ में बाघिन की निगरानी के लिए बुलाए हाथी

उमरिया, देशबन्धु। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र में बाघिन ने एक चरवाहे पर हमला किया। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। घटना के बाद से टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। एक गाड़ी के साथ दस से अधिक कर्मचारी लगाए हैं। दरअसल, 23 मार्च को चंसूरा गांव के पास जंगल में मवेशी चरा रहे चरवाहे पर बाघिन ने हमला कर दिया था, जिसमें चरवाहे की मौत हो गई। पनपथा बफर परिक्षेत्र के अधिकारी शिवपाल सिंह ने बताया कि बाघिन की निगरानी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र में हाथियों को बुलाया गया है। साथ ही ट्रैप कैमरे भी लगाए जाएंगे। वन विभाग ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह दे रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है।

धान उपार्जन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिये दल गठित करने के निर्देश

पन्ना, देशबन्धु। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अंतर जिला व जिले में उपार्जन केन्द्रों से दी गई धान के सत्यापन एवं अन्य शिकायतों की जांच के लिये जांच दल गठित कर सात दिवस के अंदर विस्तृत जांच की कार्यवाही संपादित करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं। जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक/खाद्य अधिकारी संयोजक होंगे। उप/सहायक आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन सदस्य होंगे। जांच दल द्वारा उपार्जित धान, धान परिवहन, धान जमा, धान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलरवार धान प्रदाय की मात्रा, धान उठाव की मात्रा और मिलरवार सीएमआर जमा मात्रा की विस्तृत जांच की जाएगी।

इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि गोदामों में धान कम मात्रा में जमा होने के कारणों की जांच कराई जाये एवं संबंधित उपार्जन समिति व परिवहनकर्ता आदि से शार्टेज मात्रा की वसूली कर संबंधित किसानों को भुगतान किया जाए। उपार्जन केन्द्रों पर धान की शार्टेज मात्रा की प्रतिपूर्ति बाजार एवं अन्य माध्यमों से कदापि नहीं कराई जाये। उपार्जन केन्द्रों से धान परिवहन के लिये मिलर्स द्वारा उपयोग किये गये वाहन, परिवहन दिनांक एवं मात्रा की जानकारी सीएसएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे धान परिवहन करने वाले वाहनों का विवरण प्राप्त किया जाये। उपार्जन केन्द्र से उठाई गई धान, परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की ट्रेकिंग एवं डाटा जिले से एवं टोल नाकों से प्राप्त करें। जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से धान परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की श्रेणी, प्रकार और लोडिंग क्षमता की जानकारी प्राप्त करें। इन बिन्दुओं पर जांच कर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार तत्काल संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही जांच के दौरान जिला प्रबंधक सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा मिलर्स को धान के नए डिलेवरी ऑर्डर जारी नहीं किये जाएंगे। जांच के बाद जो मिलर्स सही पाये जाएंगे, उन्हें ऑर्डर दिये जायेंगे।

कार्यकर्ताओं को पोषण भी-पढ़ाई भी का प्रशिक्षण

शहडोल, देशबन्धु। महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित आंगनवाडी केंद्रों की आंगनवाडी कार्यकताओ को ईसीसीई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करने के साथ ही आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास के आयामों के मूल्यांकन में क्षमता वृद्धि कर सक्षम बनाने के उद्देष्य से समक्ष आंगनवाडी एवं मिशन पोषण 02 अन्तर्गत पोषण भी, पढाई भी थीम के तहत् तीन दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मनोज लारोकर के मार्गदर्षन में जिले अन्तर्गत संचालित 1562 आंगनवाडी केन्दो की आंगनवाडी कार्यकर्ताओ को पोषण भी, पढाई भी प्रशिक्षण 18 बैच बनाकर दिया जा रहा है जिसमे प्रथम चरण में 24 से 26 मार्च तक 10 बैच के माध्यम से 882 आंगनवाडी कार्यकर्ताओ को मास्टर ट्रैनर पर्यवेक्षको के माध्यम से परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति में प्रषिक्षण दिया गया।

पोषण भी, पढाई भी प्रशिक्षण अन्तर्गत आंगनवाडी कार्यकर्ताओ को 03 से 06 वर्ष के बच्चो में शाला पूर्व षिक्षा की आधारषिला एवं 0 से 03 वर्ष के बच्चो में नवचेतना गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित किए गए। उक्त

आयोजित तीन दिवसीय प्रषिक्षण के प्रथम दिवस पढाई विषय पर प्री-टेस्ट, अपेक्षानुसार वातावरण, पोषण भी पढाई भी के लिए तर्क, प्रारंम्भिक बाल षिक्षा के महत्व, बच्चो की आकांक्षाओ की समझ, बच्ची में विकास के क्षेत्रो का परिचय भाषा और साक्षरता विकास, अधिगम सहायको का महत्व (टी.एल.एम.) शैक्षणिक सामग्री व अधिगम सामग्री का निर्माण, कक्षा का संचालन एवं बच्चो के लिए एक दिनचर्या की योजना बनाना आदि विषय पर प्रषिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस पोषण- विषय पर स्वस्थ बच्चे और मानव जीवन चक्र मं पोषण की भूमिका के बारे में चर्चा, पोषण संबंधी उपायो पर चर्चा और प्रस्तुति, माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्वो की कमी विकारों पर चर्चा एवं प्रस्तुति, पोषण परामर्ष पर नाटिका, सेम-मेम बच्चो की पहचान रोकथाम प्रबंधन, स्तनपान के लाभ, स्तनपान की प्रारंम्भिक शुरूआत और कोलोस्ट्रम के लाभो की समझ, उचित स्थिरता और खाद्य विविधता के साथ आयु- विषिष्ट पूरक पोषण आहार का महत्व, 03 से 06 वर्ष के बच्चो के लिए पोषण एवं संतुलित आहार और आहार विविधता का महत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता व सफाई, विकास निगरानी व मूल्यांकन के तकनीकें, बाल विकास में माता-पिता और समुदाय को शामिल करने का महत्व व रणनीतियां एवं बच्चो की सुरक्षा एवं संरक्षण विषय पर प्रषिक्षण मास्टर ट्रैनरो द्वारा दिया गया। उक्त प्रषिक्षण के गुणवत्ता की मानीटरिंग हेतु कलेक्टर डॉ केदार सिंह द्वारा अनविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नियक्त किया गया है।

साथ ही विभागीय स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग शहडोल संभाग श्रीमती मंजूलता सिंह द्वारा परियोजना सोहागपुर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज लारोकर द्वारा परियोजना गोहपारू, जयसिंहनगर, बुढार एवं ब्यौहारी मे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की मानीटरिंग की गई एवं एवं उपस्थित रह कर प्रशिक्षण कार्यकम की उपयोगिता एवं परिणामों पर विस्तृत जानकारी उपस्थित प्रतिभागियों को प्रदान की गयी।

जिस जिप्सी से कलेक्टर ने घूमा था संजय टाइगर रिजर्व, उसके दस्तावेज गायब

उमरिया, देशबन्धु। सीधी कलेक्टर स्वारोचिष सोमवंशी पर संजय टाइगर रिजर्व में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। कलेक्टर ने उमरिया स्वास्थ्य विभाग की जिप्सी से अवैध सफारी की।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कलेक्टर खुद जिप्सी चला रहे हैं। वाहन उमरिया के उमेश यादव धमोखर के नाम पर पंजीकृत है। वाहन नंबर एमपी 54 जेड ए 3935 है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) एसबी चौधरी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिप्सी से जुड़े अहम दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय से गायब हो गए हैं। अधिकारी वाहन के क्रय-विक्रय से जुड़े कागजात की जांच कर रहे हैं। अजय दुबे ने मुख्य सचिव से दो मांगें की हैं। उमरिया जिला अस्पताल के वाहनों का सत्यापन किया जाए। लापता वाहनों की एफआईआर दर्ज की जाए। पहले भी विभाग में ऐसी लापरवाही सामने आ चुकी है। विधायक बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह और विधायक मीना सिंह मानपुर द्वारा दी गई चार एंबुलेंस खराब हो गईं। इन एंबुलेंस के दस्तावेज भी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं मिले। सीएमएचओ ऑफिस से दस्तावेजों का गायब होना आम बात बन गई है।

सीबीआई ने रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों पकड़ा

पीएफ की राशि जारी करने के लिए मांगे थे पांच लाख रुपये

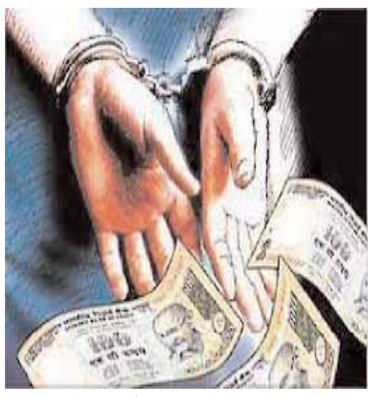

उमरिया, देशबन्धु। उमरिया जिले के जोहिला कोल माइंस क्षेत्र में स्थित एसईसीएल नौरोजाबाद के उपक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ भविष्य निधि विभाग के एक बाबू को सीबीआई जबलपुर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के एक अन्य कर्मचारी को भी रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नौरोजाबाद निवासी से उनके दिवंगत पिता की भविष्य निधि राशि जारी करने के बदले 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। नौरोजाबाद निवासी शिकायतकर्ता के पिता कुदारी कोल माइंस में कार्यरत थे और 14 मई 2021 को उनका निधन हो गया था। पिता की भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए उनका बेटा सब एरिया ऑफिस के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसका संपर्क पीएफ विभाग में कार्यरत बाबू उमाशंकर तिवारी से हुआ। तिवारी ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसके पिता की भविष्य निधि राशि लगभग 50-60 लाख रुपये होगी। शिकायतकर्ता ने जब राशि जारी करने का अनुरोध किया, तो उमाशंकर तिवारी ने 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। उसने बताया कि राशि जारी कराने के लिए कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर भी जाना होगा, जहां से औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। उसने यह भी बताया कि इसमें से 2.50 लाख रुपये जबलपुर कार्यालय के एक अधिकारी को देने होंगे, जबकि शेष राशि अन्य अधिकारियों और बाबुओं में बांटी जाएगी।

जाल बिछाकर कार्रवाई-रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने सीबीआई जबलपुर को पूरे मामले की जानकारी दी। सीबीआइने मामले की गहन जांच की, बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत एकत्रित किए, फिर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सीबीआई के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पहली किश्त के रूप में 1.50 लाख रुपये सौंपे। इसके बाद सीबीआई टीम ने छापेमारी कर जबलपुर कार्यालय में तैनात कर्मचारी के पास से 1.30 लाख रुपये और नौरोजाबाद के बाबू उमाशंकर तिवारी के पास से शेष राशि बरामद की।

मुख्यमंत्री कल करेंगे श्रमिक परिवारों को राशि का अंतरण

पन्ना, देशगन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 मार्च को भोपाल के मंत्रालय से संबल योजना में अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। इससे पन्ना जिले के हितग्राही भी लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। योजना में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रूपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं, साथ ही श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नीति आयोग की पहल पर गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है। इससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं। संबल योजना में श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी जिला-शहडोल (म.प्र.)

Email address-ro83beohari@gmail.com

क्र./प्रवा./2024/रा.प्र.क्र.0087/अपील/21-22 ब्यौहारी दिनांक 06/03/2025

- इश्तहार -

एतद् द्वारा सामाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, मेरे न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्र./0087/अपील 2021-22 अपीलार्थी गण श्रीमती कमल श्री जैन पति स्व.हुकुमचंद जैन पुत्री बगै. बनाम श्री चन्द्र जैन आयु 46 वर्ष आत्मज स्व. मोतीलाल जैन सा बगै. सा. ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) प्रचलित प्रकरण में न्यायालय में संलग्न सूची अनुसार अपीलार्थी/रेस्पा.गण सूचित हो कि, उक्त उन्माद प्रकरण में नियत पेशी तिथि 09.04.2025 को स्वयं अथ्वा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होवे। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने पर गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जावेगा।

संलग्न-सूची संलग्न क्र.01 से 51 तक।

श्रीमती कमल श्री जैन आयु 86 वर्ष पति स्व. हुकुमचंद जैन पुत्री स्व. जैन *सतोष कुमार जैन पिता दशरथ लाल जैन पेशा व्यापार हॉस्पिटल रोड कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र) 03-श्रीमती उर्मिला जैन पति स्व. सुशीलकुमार जैन पेशा व्यापार हॉस्पिटल रोड कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र) 04- अशोक कुमार जैन माँ स्व. गेंदाबाई जैन पिता दशरथ लाल जैन निवासी कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र) 05- मालती जैन माँ स्व. गेंदा बाई जैन पिता दशरथ लाल जैन पति त्रिलोक चंद्र जैन निवासी पुष्पविहार दिल्ली सेक्टर नंबर 5-6 दिल्ली 06 माधुरी जैन माँ स्व. गेंदा बाई जैन पिता दशरथ लाल जैन पत्नि अशोक कुमार जैन सा. राजभवन के अन्दर भोपाल (म.प्र) 07 अरुणलता जैन माँ स्व. गेंदा बाई जैन पिता दशरथ लाल जैन पति नूतन कुमार जैन डोंगरगांव जैन मंदिर के पास रायपुर छत्तीसगढ़

सभी आवेदकगणों आम मुख्तियार संजय कुमार जैन आत्मज स्व. हुकुमचंद जैन 1599 राईट टाउन जबलपुर

अपीलार्थी गण

- बनाम -

01 श्री चंद जैन आयु 46 वर्ष आत्मज स्व. मोतीलाल जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल (म.प्र) 02 राजकमल जैन आत्मज स्व. मोतीलाल जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल 03 श्रीमती सुनीता पुत्री मोतीलाल जैन पति दिनेश जैन सा. हनुमान चौक सतना मध्यप्रदेश 04 चमेली वाई बेवा मोतीलाल जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल 05 वदना जैन उर्फ बेबी पुत्री मोतीलाल जैन सा. मंदसौर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश 06-अ कमला जैन बेवा जवाहर लाल जैन पुत्र प्रकाश जैन सा. भेल संगम चौराहा यूनीक रेसिडेंसी सी-304 बागसेवनिया भोपाल 06-ब प्रकाश चंद जैन पिता स्व. जवाहर लाल जैन निवासी ब्योहारी जिला शहडोल हालमुकाम भेल संगम चौराहा यूनीक रेसिडेंसी सी -304 बागसेवनिया भोपाल 06-स अमिता जैन पुत्री स्व. जवाहर लाल जैन सा. बहुरानी बेंगल, छोटी देवी के पास टीकमगण (म.प्र) 06-द संगीता जैन पुत्री स्व. जवाहर लाल जैन पति अनिल जैन आदि एल्युमीनियम शॉप, क्षेत्रपाल मंदिर के पास ललितपुर उत्तरप्रदेश 06-इ शोभा जैन पुत्री स्व. जवाहर लाल जैन पति विनोद जैन गमछा बाले सिविल लाइन कटनी (म.प्र.) 07 अ- नरेश कुमार जैन पिता रूपचन्द्र जैन सा. ब्यौहारी बगैरा 07 ब- अशोक कुमार जैन पिता रूपचन्द्र जैन सा. ब्यौहारी बगैरा 07 स- मनोज कुमार जैन पिता रूपचन्द्र जैन सा. ब्यौहारी बगैरा 07 ड- राजकुमारी पति केशरी मल जैन सा. गुना अग्रवाल धर्मशाला के पास 07 इ- चन्दा जैन पति प्रद्युमन जैन सा. अमरपाटन गांधी चौक श्री बड़े बाबा गारमेंट तहसील अमरपाटन जिला सतना 07 ई- मणिप्रभा पति शिवप्रसाद जैन सा. मीठी जिला शिवपुरी 07 उ- बेवा रूपचद जैन सा. ब्यौहारी वार्ड क्र. 08, 08- महेंद्र कुमार निता स्व. धर्मदास जैन सा. पोंडी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्यप्रदेश 09- चैना वाई पत्नी स्व. इंद्रकुमार जैन सा. पोडी जयसिहनगर (म.प्र) 10- विनोद कुमार जैन पिता स्व. इंद्रकुमार जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश 11- प्रमोद कुमार पिता स्व. इंद्रकुमार जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश 12-गुणमाला जैन पुत्री स्व. इंद्रकुमार जैन पति प्रवीणकुमार जैन सा. नयी बस्ती कटनी जिला कटनी (म.प्र) 13. श्रेयांश कुमार जैन पिता स्व. इंद्रकुमार जैन सा ब्योहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश 14- अंशकुमार जैन पिता स्व. इंद्रकुमार जैन सा. ब्योहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश 15 - सुभाष चन्द्र जैन पिता धरमदास जैन सा. ब्योहारी हालमुकाम टिकुरियाटोला जिला सतना मध्यप्रदेश 16-पवनकुमार पिता धरमदास जैन सा. पोडी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल 17-सुमित चन्द्र पिता धर्मदास जैन सा. पोडी तहसील जयसिहनगर जिला शहडोल 18-रमेश चंद्र पिता हुकुम चन्द्र जैन सा. मेन बाज़ार कोतमा जिला अनूपपुर 19-देवेन्द्र कुमार पिता हुकुम चन्द्र जैन सा. मेन बाज़ार कोतमा जिला अनूपपुर 20- राजेन्द्र कुमार पिता लालचन्द्र जैन सा. वार्ड क्र. 3 कोतमा जिला अनूपपुर 21- मंजीबाई पुत्री लालचंद जैन पति मूलचंद जैन सा. मझौली जिला जबलपुर 22-प्रकाश चंद जैन पिता केवलचंद जैन सा. कोतमा जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश 23- चक्रेश कुमार जैन पिता केवलचंद जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 24- राकेश कुमार जैन पिता केवलचंद जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 25-मिथिलेश जैन पिता स्व. नरेश कुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 26- निलेश कुमार जैन पिता स्व. नरेश कुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 27- नितेश कुमार जैन पिता स्व. नरेश कुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 28- अर्चना जैन पिता स्व. नरेश कुमार जैन पति आनंद कुमार जैन सा. लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र) 29- संजय पिता कोमलचंद जैन जेल बिल्डिंग के पीछे शहडोल 30- संदीपा पुत्री कोमलचंदजैन पति राहुल जैन सा. महराजपुर जिला जबलपुर 31- शांतिबाई वेविमिवल कुमार जैन सा. सतना जिला सतना मध्यप्रदेश 32- कमलकुमार पिता विमलकुमार जैन सा. सतना जिला सतता मध्यप्रदेश 33- निर्मल कुमार जैन पिता विमलकुमार जैन सा. सतना जिला सवना मध्यप्रदेश 34-सुरेन्द्र कुमार पिता विमलकुमार जैन सा. सतना जिला सतना मध्यप्रदेश 35- सौरभ पिता सुशीलकुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 36 गौरव जैन पिता सुशीलकुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 37- गुंजन पुत्री पिता सुशीलकुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 38- सुमन पुत्री पिता सुशीलकुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 39-पूजा पुत्री पिता सुशीलकुमार जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश 40-कांती जैन माँ गेंदाबाई पुत्री दशरथ लाल जैन पति पदमचंद जैन सा. कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र) 41- विभा पुत्री कुंजी लाल जैन पति नवीन जैन सा. बदौसा जिला बांदा उत्तरप्रदेश 42-शुभा पुत्री कुंजी लाल जैन सा. वीरसिंहपुरपाली होली चार्ड स्कूल के सामने जिला उमरिया (म.प्र) 43- रवि पिता कुंजीलाल जैन सा. वीरसिंहपुरपाली होली चार्ड स्कूल के सामने जिला उमरिया (म.प्र) 44-आभा जैन पुत्री कुंजीलाल जैन सा. वीरसिंहपुरपाली होली चार्ड स्कूल के सामने जिला उमरिया (म.प्र) 45-पद्मावती पुत्री धरमदास पति कोमलचंद्र जैन सा. पटवारी मोल्हला छतरपुर 46-राजू उर्फ मुन्ना पिता स्व. बाबूलाल जैन सा. सूर्या होटल ले पास शहडोल 47-गुडिया (सपना) पुत्री बाबूलाल जैन सा. गिरनारसाइकिल वाले सिन्धी कैंप बुढार जिला शहडोल (म.प्र) 48- अव्यतीबाई पुत्री अमरचंद पति नाथूराम जैन सा. ललितपुर जिला ललितपुर उत्तरप्रदेश 49- केतमती पुत्री अमरचंद जैन पति प्रेमचन्द जैन सा. सलेहा जिला पन्ना मध्यप्रदेश 50- भानुमती पुत्री अमरचंद पति प्रेमचन्द जैन सा. डेरा पहाड़ी के पास जिला छतरपुर मध्यप्रदेश 51- मायाबाई पुत्री अमरचंद पति विनोद कुमार जैन सा0 मवई जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

अपील अंतर्गत धारा 44 (1) म.प्र.भू.रा.स. 1959 न्यायलय तहसीलदार तहसील ब्योहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश के रा.प्र.क्र.215 व 27-16-17 आदेश दिनाक 25/05/2018 के विरुद्ध के विरुद्ध प्रथम अपील

उत्तरवादी गण

अनुविभागीय अधिकारी, ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)